

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता/विभागाध्यक्ष  
उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग, देहरादून

२१५/५५ (60) माता-०५/१३

दिनांक- 21/02/2013

"परिपत्र"

नये स्टील गर्डर सेतुओं के निर्माण के लिए सामान्यतः निम्नानुसार कार्यवाही की जाय-

पहलीय क्षेत्रों में :-

- ऐसे मार्ग जो आगे संयोजकता प्रदान न करते हों, अर्थात् Dead End संयोजकता प्रदान करते हों, पर सेतु सिंगल लेन (4.25 मी० Carriageway) व क्लास 'ए' लोडिंग के निर्मित किये जायें।
- ऐसे मार्ग जो Through road हों, पर डेढ़ लेन (5.50 मी० Carriageway) व क्लास 'ए' लोडिंग के निर्मित किये जायें।
- शहरी भागों/आबादी वाले भागों के मार्गों में सेतु दो लेन (7.50 मी० Carriageway) व क्लास 'ए' लोडिंग/क्लास 'ए ए' लोडिंग के निर्मित किये जायें। साथ ही इन क्षेत्रों में फुटपाथ का भी प्राविधान रखा जाय।
- सामरिक (Strategic) महत्व के मार्गों पर सेतु क्लास 'ए ए' व 70 आर० लोडिंग के निर्मित किये जायें।

दोनी क्षेत्रों में :-

- मार्गों के समस्त सेतु दो लेन (7.50 मी० Carriageway) व क्लास 'ए' लोडिंग/क्लास 'ए ए' लोडिंग के निर्मित किये जायें। आबादी वाले भागों में इन सेतुओं के साथ फुटपाथ का भी प्राविधान रखा जाय।

सेतुओं के आगणन प्रथम चरण व द्वितीय चरण के रूप में स्वीकृत किये जाते हैं, अतः प्रथम चरण ही उक्त बिन्दुओं का आंकलन उचित प्रकार कर लिया जाय।

उपरोक्त निर्देश सामान्य मार्गदर्शन हेतु जारी किये जाते हैं, स्थल विशेष हेतु निर्णय लेने के लिए भूत अधीक्षण अभियन्ता को अधिकृत किया जाता है।

मुख्य अभियन्ता स्तर-1, उत्तराखण्ड लो०नि०वि० देहरादून का परिपत्र, पत्रांक 111/ 113(8)/

10/05 दिनांक 28.02.2006 का पैरा-2 उक्त सीमा तक संशोधित माना जाय।

(इ०ललित मोहन)

प्रमुख अभियन्ता/विभागाध्यक्ष

लिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- मुख्य अभियन्ता स्तर-1 (नियोजन)/(मुख्यालय) उत्तराखण्ड लो०नि०वि०, देहरादून।
- मुख्य अभियन्ता, गढ़वाल क्षेत्र/कुमायूँ क्षेत्र/रा०राजमार्ग/ए०डी०बी०/पी०एम०जी०एस०वाई० लो०नि०वि०, पौड़ी/अल्मोड़ा/देहरादून।
- समस्त अधीक्षण अभियन्ता..... वृत्त, लो०नि०वि०.....
- वरिष्ठ स्टाफ ऑफिसर/अधिशाली अभियन्ता विभागाध्यक्ष कार्यालय, देहरादून।
- समस्त अधिशाली अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड/निर्माण खण्ड/अस्थाई खण्ड लो०नि०वि०.....
- प्राविधिक वर्ग।

संख्या 432/43 बी-113 दि० 21/2/13

लिपि अधिशाली अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड/निर्माण खण्ड/अस्थाई खण्ड लो०नि०वि०  
मुख्य अभियन्ता/विभागाध्यक्ष  
दिनांक 21/2/13  
अधीक्षण अभियन्ता